न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)
I.D No-UP 5743
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–341/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–2400/2026
(CNR UPLP 010051692026)

1. झल्लू उर्फ दिनेश कुमार आयु लगभग 49 वर्ष पुत्र सिपाही।
2. मेधी उर्फ मेघे आयु लगभग 55 वर्ष पुत्र सदानन्द।
निवासीगण ग्राम–बद्रीपुरवा, थाना–पढुआ, जिला–खीरी।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....विपक्षी।

रेंज केस सं0–30/2025–26
धारा–26, 41, 42 भारतीय वन अधिनियम,
रेंज–धौरहरा,
जिला–लखीमपुर खीरी।

20.07.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्तगण झल्लू उर्फ दिनेश एवं मेधी उर्फ मेघे की ओर से रेंज केस सं0–30/2025–26, धारा–26, 41, 42 भारतीय वन अधिनियम, रेंज–धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र पर यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम है। प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय अथवा किसी सत्र न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त किया गया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष है, उन्होंने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्तगण ने किसी भी प्रकार की जंगल की लकड़ी को न तो नदी से निकाला है और न ही छिपाया है। अभियुक्तगण का घर बरामदगी स्थल से 03 किलोमीटर की दूरी पर है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वन अधिकारियों ने जियाराम के खण्डहर से लकड़ी बरामद होना बताया है व जियाराम की पत्नी का मृत होना बताया है, जो पूर्णतया झूठा एवं बनावटी है, वहॉ पर जियाराम का कोई खण्डहर नहीं है, सिर्फ घर है। जियाराम की पत्नी जीवित है और अपने घर है। अभियुक्तगण के पास से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि वन अधिकारियों द्वारा फर्जी रूप से अभियुक्तगण को उक्त वाद में गांव के ही विपक्षीगणों के कहने पर झूंठा व फर्जी रूप से फॅसाया है। दिखायी गयी बरामदगी पूर्णतया फर्जी एवं साजिशी है। कथित बरामदगी का कोई जनता का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण सीधे सादे शान्तिप्रिय मज.

दूर पेशा व्यक्ति है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण अपनी अग्रिम जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेंगे व देश छोड़कर नहीं जायेंगे। अभियुक्तगण न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेंगे तथा साक्ष्य के साथ छेडछाड़ नहीं करेंगे। अभियुक्तगण पुलिस प्रताड़ना से बचना चाहते है न कि न्यायिक प्रक्रिया व न्यायालय से। अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में सजा 07 वर्ष से कम वाली है। अभियुक्तगण के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। वन विभाग की पुलिस अभिरक्षा में सहअभियुक्त के लिये गये बयानों के आधार पर अभियुक्तगण को फर्जी नामित किया गया है। अभियुक्तगण अपनी अग्रिम जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत मंजूर किये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

4— संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.09.2025 को समय लगभग 01.00 बजे अपरान्ह् मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त राजकुमार उर्फ गुड्डू द्वारा अभियुक्त जियाराम के खण्डहरनुमा घर में अपने अन्य साथियों के सहयोग से खैर की लकड़ी छुपाकर रखी है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके वनकर्मी मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर समय लगभग 02.00 बजे मय हमराह पहुॅचे तो देखा कि जियाराम के खण्डहर नुमा घर में बाहर से घास की टटिया बनाकर खैर की बोटे छिपा कर रखे मिले। आस पास के लोगों ने बताया कि जियाराम की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। जियाराम लगभग 5—6 माह पूर्व कहीं मजदूरी करने बाहर गया था, तब से वापस नहीं आया, अन्य किसी के बारे में पूछताछ करने पर आस पास के लोगों ने अनभिज्ञता जाहिर की, समस्त प्रकाष्ठ को कब्जे में लेकर अभियुक्त राजकुमार उर्फ गुड्डू के घर दबिश दी गयी। अभियुक्त फरार पाया गया। मौके से 82 अदद खैर की लकड़ी के बोटे की बरामदगी हुई। मौके पर फर्द तैयार की गयी।

5. वन विभाग के विद्वान अधिवक्ता की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वन विभाग के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण पर दिनांक 20.09.2025 को समय 02.00 बजे शाम स्थान घर सहअभियुक्त जियाराम वहदग्राम मोटेबाबा, थाना पढुआ, जिला खीरी में छिपाकर कर रखी गयी वन उपज खैर की बेशकीमती लकड़ी के 82 बोटे बरामद होने का आरोप है। मामले की जॉच वी0पी0 सिंह उपक्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध जॉच रिपोर्ट में दिनांक 27.11.2025 को सहअभियुक्त राजकुमार उर्फ गुड्डू को पकड़े जाने का अंकन है। जॉच रिपोर्ट में सहअभियुक्त राजकमार उर्फ गुड्डू द्वारा अभियुक्तगण के साथ मिलकर कर्तनियाघाट के जंगल से नदी में बहकर आयी खैर की लेड़ी को नदी से निकाल कर सहअभियुक्त जियाराम के घर में छिपकर रखना बताये जाने का उल्लेख है। प्रस्तुत मामले में भारी मात्रा में वन उपज खैर की लकडी की बरामदगी हुई है।

धारा–65ए भारतीय वन अधिनियम के अनुसार भारतीय वन अधिनियम से संबंधित अपराध में अभियुक्त को तब तक जमानत प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि न्यायालय उसके निर्दोष होने की अवधारण न कर लें। इस स्तर पर अभियुक्तगण के निर्दोष होने की अवधारणा किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

वन विभाग की ओर से अभियुक्त झल्ली उर्फ दिनेश का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

क्र0सं0 –	रेंज केस संख्या–	धारा–	रेंज
1.	18 / 2023–24	धारा–26, 41, 42 भारतीय वन अधिनियम व धारा–51(1) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम	धौरहरा
2.	76 / 2024–25	धारा–69, 41, 42 भारतीय वन अधिनियम	धौरहरा
3.	11 / 2025–26	धारा–69 व 41, 42 भारतीय वन अधिनियम	धौरहरा

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों, जिसमे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.P.C. No 10145 of 2023 Iddu And 4 Others Vr State Of U.P. And 2 Others निर्णय दिनांक 18.09.2023 के प्रस्तर–15 में यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत के पीछे विधायिका का उद्देश्य झूठे अभियोजन के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। उपरोक्त के दृष्टिगत स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत का उपचार वहीं प्रदान किया जा सकता है, जहां प्रार्थी / अभियुक्त की प्रश्नगत मामले में संलिप्तता का, लेश मात्र का भी साक्ष्य न हो।

8. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी / अभियुक्त की प्रश्नगत मामले में संलिप्तता रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टांत मध्य प्रदेश राज्य प्रति प्रदीप शर्मा, (2014)2 SCC 171 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत हेतु धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग असाधारण एवं अपवादित मामलों में वहीं पर किया जाना चाहिए, जहां आवेदक व्यक्ति को मिथ्या फंसाये जाने का आधार हो। इस स्तर पर प्रार्थी / अभियुक्तगण की संलिप्तता से प्रथम दृष्टया इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार अग्रिम जमानत पर्याप्त नहीं है। तद्नसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी / अभियुक्तगण झल्लू उर्फ दिनेश एवं मेधी उर्फ मेघे द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

दिनांक–20.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.25 10:33:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court